न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 20/2020

बउनवानः—

सोहनलाल पुत्र किशोरीलाल जाति मीणा निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

वकील प्रार्थीगण : श्री मनोज कुमार आर्य

दायरा दिनांकः 03.03.2020

निर्णय दिनांक : 06.01.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी की कृषि भूमि शामलाती खाते की आराजी हाल खाता संख्या 94 किता 10 रकबा 7.30 है0 ग्राम मूण्डली में स्थित है। जो जमाबंदी सम्वत 2073—76 राजस्व रेकार्ड में अंकित है। उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2073—76 में खातेदार वादी का नाम मोहनलाल पुत्र किशोर कोम मीणा निवासी मूण्डली दर्ज हो रहा है। जबकि प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र किशोरीलाल जाति मीणा ग्राम मूण्डली है। जो सेटलमेंट द्वारा गलत अंकन कर दिया गया है। प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र किशोरीलाल है। लेकिन सोहनलाल पुत्र किशोर दर्ज हो गया है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में नाम सोहनलाल पुत्र किशोरीलाल दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज होने से सरकारी योजना का लाभ नही उठा पा रहा है। और फसल खराबे की मुआवजा भी प्राप्त नही हो पा रहा है। इस कारण न्यायहित में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र किशोर जाति मीणा के स्थान पर सोहनलाल पुत्र किशोरीलाल जाति मीणा निवासी मूण्डली दुरूस्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:33:19 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.03.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र दिनांक 04.06.2020 से जवाब प्रस्तुत किया

जिसके अनुसार जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 99 में साहबलाल, मोहनलाल पुत्र किशोर हिस्सा 1/6 दर्ज है। उक्त भूमि को सोहनलाल पुत्र किशोर ही काश्त करता है। तथा वास्तविक नाम सोहनलाल है। सबुत के तौर पर आधार कार्ड की छायाप्रति, वोटर आईडी, राशन कार्ड की प्रति में सोहनलाल पुत्र किशोरलाल जाति मीणा अंकित है। अतः प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में मोहनलाल पुत्र किशोर के स्थान पर सोहनलाल पुत्र किशोरलाल दर्ज करवाने हेतु आदेश फरमावें।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील प्रार्थी की दिनांक 06.01.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से भी प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र किशोरीलाल जाति मीणा निवासी मूण्डली होना जाहिर होता है। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 06.01.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम मूण्डली की आराजी खाता खाता संख्या 94 किता 10 रकबा 7.30 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज मोहनलाल पुत्र किशोर कोम मीणा को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सोहनलाल पुत्र किशोरलाल जाति मीणा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:33:19 IST
Reason: SelfAttested